मध्य प्रदेश राज्य के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से तकनीक शिक्षा में अयोग्यता (एनएफटीई) नियम हटवाने के संबंध में दिनांक 01-11-2012 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में हुई बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थिति

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	डा0 रामेश्वर उरांव,	अध्यक्ष
2.	श्रीमती के0कमला कुमारी	सदस्य
3.	श्री आदित्य मिश्रा	संयुक्त सचिव
4.	श्री एम0एस0 चोपड़ा	निदेशक
5.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर	उप निदेशक
6.	श्री एन0के0 मारन	अनुसंधान अधिकारी
7.	श्री टी0डी0 कुकरेजा	अध्यक्ष के निजी सचिव

मध्य प्रदेश शासन

1.	श्री अरूण नाहर,	संचालक, तकनीकी शिक्षा

राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

1.	डा0 बी0के0 सेठी,	उपकुलपति
2.	श्री विनय थापर	सहायक

मध्य प्रदेश राज्य के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आर.जी.पी.वी) भोपाल, मध्य प्रदेश से तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए आयोग्यता (एन.एफ.टी.ई.) नियम हटवाने का आदेश पारित करने के संबंध में श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी, माननीय सांसद (लोकसभा) ने अपने पत्र दिनांक 29-08-2012 के साथ अनुसूचित जनजाति छात्रों का संयुक्त अभ्यावेदन आयोग को संलग्न किया जिसमें छात्रों द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय (आर.जी.पी.वी) भोपाल, मध्य प्रदेश जिसमें अध्ययन करने वाले समस्त अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों पर एन.एफ.टी.ई. नियम लागू होता है जिसके कारण मध्य प्रदेश के समस्त तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का भविष्य खराब होता आ रहा है, हो रहा है और आगे भी भविष्य खराब होने की संभावना पूर्णरूपेण बनी हूई है। आरक्षित वर्ग (अ.जा. व अ.ज.जा.) के विद्यार्थी एन.एफ.टी.ई. में इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि सवर्ण जाति के शिक्षक जानबूझकर उन्हें अनुत्तीर्ण करते है। दूसरा कारण यह भी होता है कि अ.जा. व अ.ज.जा. के विद्यार्थी गरीब व पिछड़े क्षेत्रों से आने के कारण उनमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का भी अभाव रहता है तथा संबंधित समाज के लोगों से उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं होता है। जिसके कारण भी इस वर्ग के विद्यार्थी एन.एफ.टी.ई. आ जाते हैं। यह भी सत्य है कि देश के किसी भी धार्मिक

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

ग्रंथों में एवं किसी इतिहास में यह नहीं लिखा है कि ज्ञान हासिल करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गयी हो तो फिर वर्तमान शिक्षा पद्धति में एन.एफ.टी.ई. जैसे धृणित नियम बनाकर हम आरक्षित जाति के विद्यार्थियों के भविष्य को खराब क्यों किया जा रहा है। यह नियम तथा कथित निम्न मानसिकता वाले सवर्ण जाति के लोगों द्वारा बनाया गया है, ताकि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण न कर सकें और अपने परिवार तथा समाज की उन्नति न कर सकें और दबे कुचले और पिछड़े ही रह जाए। अत: स्पष्ट है कि एन.एफ.टी. ई. जैसे घृणित नियम को आर.जी.पी.वी. भोपाल, मध्य प्रदेश से हटाया जाना चाहिए।

यह नियम केवल शासकीय तकनीकी महाविद्यालयों में पढ़ रहे अधिकांश आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों पर ही लागू हो रहा हैा वर्तमान में मध्य प्रदेश के सर्वोत्तम तकनीकी महाविद्यालय श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (एस.जी.एस.आई.टी.एस.) इंदौर के आरक्षित वर्ग के लगभग 700 विद्यार्थी इस नियम से प्रभावित हो रहे है। जब यह स्थिति मध्य प्रदेश के सर्वोत्तम तकनीकी महाविद्यालय एस.जी.एस.आई.टी.एस., इंदौर में है जो मध्य प्रदेश के अन्य तकनीकी महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की स्थिति इससे भी अधिक दयनीय होगी। आर.जी.पी.वी. भोपाल मध्य प्रदेश से संचालित समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अ.जा. व अ.ज.जा. विद्यार्थी इस घृणित एन.एफ.टी.ई. नियम से प्रभावित हो रहे है तथा इस एनएफटीई नियम से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं।

2. छात्रों के उपरोक्त अभ्यावेदन एवं तकनीकी शिक्षा के नियमों को संज्ञान में लेते हुए आयोग के पत्र दिनांक 18-08-2012 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार एवं कुलपति, राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ मामले पर चर्चा हेतु दिनांक 01-11-2012 को बैठक सुनिश्चित की।

3. श्री अरूण नहार, संचालक, तकनीकी शिक्षा , श्री वी0के0 सेठी, वीसी इन्चार्ज एवं श्री विनय थापर, सहायक, राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल दिनांक 01-11-2012 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा सूचित किया कि कार्रवाई हेतु मामला उच्च स्तर पर माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश को भी भेजा गया था जिसको माननीय राज्यपाल द्वारा दो बार निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 01-09-2012 को उप कुलपति ने मामले में फिर राज्य सरकार को लिखा है और बताया है कि मामले को अगली समन्वय समिति की बैठक में रखा जाएगा जिसकी बैठक नवम्बर, 2013 में होनी है। आयोग के अध्यक्ष ने मामले की जानकारी तथा छात्रों के अभ्यावेदन में उठाये मुद्दों पर विचार करते हुए जानकारी चाही कि राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यादेश क्रमांक 04 के पैरा सं0 5.3 जिसमें लिखा गया है कि " The maximum duration of the course shall be seven years. provided that if a candidate is unable to pass/clear the first year of BE course within two and half years from the date of his first admission he shall not be allowed to continue in BE course and the maximum duration of the course will be seven years" इस खण्ड के अंतर्गत आदिवासी छात्रों को उनके तकनीकी कोर्स को पूर्ण करते हुए उत्तीर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

4. आयोग ने मामले में पाया कि छात्रों को लम्बे समय तक पढ़ाने के पश्चात भी विश्वविद्यालय ने ऐसी कोई नीति नहीं बनायी थी जिसमें तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों जो कि शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े होते हैं, के छात्रों को प्राथमिकता दी जाए बल्कि संबंधित संस्थान द्वारा उनको शिक्षा में प्रवेश के आठ वर्षों के बाद कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा है। जिस उद्देश्य को आधार लेकर वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे उक्त एन.एफ.टी.ई. नियम से इन 8 सालों के बाद उन आदिवासी छात्रों का भविष्य न तो शिक्षा पूर्ण करने का रह जाएगा और न ही वह पूर्ण शिक्षा के साथ किसी योग्य रह जायेंगे । आयोग के अध्यक्ष ने छात्रों की उपरोक्त शिक्षा पूर्ण करने में आ रही समस्याओं पर संस्थान के उपबंध 5.3 को मद्देनजर रख कर सलाह दी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एन.एफ.टी.ई. नियम को उक्त कोर्स में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित प्रावधानों के अनुपालन में शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन इस मामले को माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश एवं राज्य सरकार के समक्ष दुबारा प्रस्तुत करें ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्र आरक्षण नीतियों का लाभ प्राप्त करते हुए अपना भविष्य उज्ज्वल कर सके।

रामेश्वर 3/19

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली